

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक: 18.04.2021

आदेश

विषय : कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिशा-निर्देश।


राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, कोविड-19 के दूसरी लहर के प्रसार व बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान राज्य में आने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका URL <http://emitra.rajasthan.gov.in> है।

राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट इस पोर्टल पर मांगी गयी सभी सूचनाओं के साथ अपलोड करनी अनिवार्य है।

जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारियों को इस पोर्टल के माध्यम से अपने जिलों में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं :—

1. sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपनी Govt. SSO ID से लॉगइन करे, ओपन हुए पोर्टल पर "COVID19 STATISTICS" एप्लीकेशन को ओपन करें।
2. एप्लीकेशन के ओपन हो जाने पर "VISUAL ANALYTICS" मेनू में "REPORT/STATISTICS" विलक करे।
3. आगन्तुकों की जिलेवार सूचना देखने के लिए "0-INWARD" पर विलक करे।

प्राप्त रिपोर्ट्स के आधार पर प्रशासन कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- एफ.17/4(1)न्याय/2020/४६४९

दिनांक:- ०१/०५/२०२१

:: आदेश ::

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) गाईडलाइन्स की प्रभावी क्रियान्विति के क्रम में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश क्रमांक - 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 23.03.2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) गाईडलाइन्स जारी कर दी गई है।

अब तक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग 5 महिनों तक सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या में निरन्तर कमी दर्ज की गई है। हालांकि कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतारी चिन्ता का कारण है। इस मोड पर कोविड-1 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिंगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) की सख्ती से क्रियान्विति की जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक अनुपालना की जाये तथा चालू टीकाकरण अभियान को सभी लक्षित समूह को कवर करने के लिये बढ़ाया जाये।

उदयपुर में कोविड-19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिये उदयपुर जिले में निम्नलिखित गाईडलाइन्स एतदद्वारा जारी की जाती है।

जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल (Test-track-treat Protocol) की प्रभावी क्रियान्विति :-

जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल की प्रभावी क्रियान्विति:-

A. आरटी-पीसीआर जांचे -

- निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिदिन की जाने वाली जांचों की कुल क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरटी-पीसीआर जांच प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए सभी उपखण्ड में समान रूप से जांचे संपादित की जा रही हैं एवं जिन उपखण्डों में संक्रमण के प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनमें जांचें पर्याप्त संख्या में की जा रही है।

B. निगरानी (Track)- प्रभावी आइसोलेशन एवं संपर्क निगरानी-

- गहन जांचों के फलस्वरूप पाये गये संक्रमित मामलों को शीघ्रतांश आइसोलेट/व्हारंटीन करने की आवश्यकता है तथा उनके सम्पर्कों का जल्दी से जल्दी पता लगा कर आइसोलेट/व्हारंटीन करने की आवश्यकता है। कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन तथा ऐसे कंटेनमेंट जोन्स में निर्धारित कंटेनमेंट उपायों को लागू किया जाना आवश्यक है।

C. रोकथाम क्षेत्र (Containment Zones) -

- भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन्स का प्रभावी सीमांकन संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है। जहां कहीं आवश्यकता हो संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा माइकों लेवल पर स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाकर नोटिफाई किया जायेगा।
- कोई एरिया/अपार्टमेंट जहां 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिह्नित किया गया है, उसे अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा माइकों कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। ऐसे कंटेनमेंट जोन्स की सूची को संबंधित अति जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा। ऐसी सूची को नियमित रूप से भारत सरकार के स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर

5. कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कडे प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन्स में केवल आयश्यक गतिविधियाँ ही अनुमति की जायेगी।
 - कंटेनमेंट जोन्स में यह सुनिश्चित करने के लिए की इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यवित्तियों को आवागमन चिकित्सा, आपातस्थिति और आयश्यक वस्तुओं और आयश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलाया नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।
 - निगरानी हेतु गठित दलों द्वारा सघन घर-घर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
 - निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांचे (Testing)की जायेंगी।
 - ऐसे व्यवित्त जो कोविड पॉजिटिव पाये गए हैं, उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिन के लिए व्यारंटीन किया जाएगा। (80 प्रतिशत सम्पर्कों की 72 घण्टे में पहचान आयश्यक है।)
 - ILI/SARI मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों में की जायेगी।
 - जिन उपखंड क्षेत्र में अधिकतम कोविड 19 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उन्हें कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की सहायता के रूप में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावे।
 - निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी।
- D. उपचार (Treat) –
- कोविड 19 के रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाईडलाईन्स की पूर्ति की शर्त पर) तुरन्त आइसोलेट किया जायेगा।
 - विकित्सा विभाग हर दिन सभी संकमित मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कॉन्सटेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कॉन्सटेबल संकमित मामलों की निगरानी के लिए RajCovidinfo ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिये कि मरीज घर पर ही रहता है, तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidinfo ऐप भी डाउनलोड कराएगा।
 - निर्धारित एवं आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical Intervention) किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए की निर्धारित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को स्पष्ट रूप से समझा गया हैं और उसके अनुसार प्रशासित किया जाएगा, को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों की क्षमता संबद्धन हेतु सभी स्तरों पर सतत अभ्यास जारी रहेगा।
 - संबंधित एजेन्सीज मामलों के प्रक्षेपक (Trajectory) के मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त कोविड समर्पित स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक (एम्बूलेंस सहित) आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
 - उपचार सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा प्रभावी संकरण रोकथाम और नियंत्रण उपायों की अनुपालना की जायेगी।

E- स्थानीय प्रतिबंध (Local Restrictions) :

- जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से उपखण्ड मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जारी कर सकेंगे।
- अतिरिक्त जिला कलवटर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालन कराया जाना आवश्यक होगा।
- अतिरिक्त जिला कलवटर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) अधोहस्ताक्षरकर्ता की बिना पूर्व स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
- सम्पूर्ण जिले में धार्मिक मेलों/उत्सवों एवं त्यौहारों के आयोजन हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा धार्मिक गतिविधियों हेतु गठित कमेटी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार एवं जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श कर विभिन्न मेलों एवं उत्सवों के आयोजन हेतु समुचित कदम उठायेगी।


जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर

(वी) दिनांक 31.03.2021 से उदयपुर में नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्पूर रहेगा। सभी वाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्पूर के दौरान बंद रहेंगे। वाजार एवं रात्रि प्रतिष्ठान आदि रात्रि 9 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 10 बजे तक अपने घर पहुंच जायें।

(सी) तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :—

- i. वे फैटिंग्यां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
- ii. वे फैटिंग्यां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
- iii. आई.टी. कम्पनियां।
- iv. कैमिस्ट शॉप।
- v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
- vi. विवाह सम्बन्धी समारोह।
- vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यरथल।
- viii. वस स्टैण्ड, रेत्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
- ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
- x. रेस्टोरेन्ट्स।

(इस हेतु पृथक पारा जारी नहीं किये जायेंगे।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कार्यरथल पर संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सघन जांच की जायेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो संस्था को सील किया जायेगा।


F. कन्टेन्मेट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान :—

17. राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में निमानुसार निर्णय लिया गया है :—

- 
1. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेंगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
 2. कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
 3. हालांकि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट आंकलन के आधार पर अधोहस्ताकरकर्ता की पूर्व अनुमति के बाद कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिवंध लगा सकते हैं।

सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यता: पालना सुनिश्चित की जायेगी। सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपरिथित कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सभी सरकारी/निजी विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों/स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। विद्यालय जाने हेतु विद्यार्थियों को अपने माता-पिता/अभिभावकों से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।


जितेंद्र सिंह
उदयपुर

G. समारोह आयोजन (Gathering):-

आयोजनों एवं वृहद एकत्रीकरण की कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति होगी:-

18. विवाह संबंधी आयोजन।

आयोजनकर्ता द्वारा:-

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी।
 2. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
 3. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जायेगी।
 4. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के विन्दुओं पर पर थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जायेंगे।
 5. सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी विन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि की बार-बार सेनेटाईजर की जायेगी।
 6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।
 7. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की विडियोग्राफी करवायी जायेगी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जावेगी।
 8. यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड 19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको सील कर दिया जाएगा।
19. अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम:- अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
 20. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रमों का आयोजन निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

आयोजनकर्ता द्वारा :-

- आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की वैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं वृताधिकारी/थानाधिकारी आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) किया जायेगा।
2. आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि :-
 - (अ) बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत कर सकेंगे।
 - (ब) खुले स्थानों में, मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा।

तथापि 1 लाख से अधिक आवादी वाले शहरों में 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे।

3. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
4. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो-मास्क नो-एन्ट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
5. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जावेगी : प्रवेश एवं निकास विन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जायेंगे।
6. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी विन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार साफाई की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दण्डनीय है।

H. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) की सख्ती से पालना:-

21. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर, निम्न के अलावा जो कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियों अनुमत है:-

- i. गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।
 - ii. सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीलेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
 - iii. प्रदर्शनी हॉल वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी। (हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमत)
22. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) निर्धारित की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु गतिविधि वार एसओपी की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट <http://covidinfo.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध कराया जायेगा।
23. संवंधित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) को सख्ती से लागू करवाया जाएगा एवं कडाई से पालना करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

I. कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार:-

24. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने को बढ़ावा देने को सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

1. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक नियारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर घेरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।

2. भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये महत्वपूर्ण है। स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे।

3. विमान, ट्रेन और मैट्रो रेल में यात्रा को एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कडाई से अनुपालना करवायी जावे।

4. कोविड-19 प्रवंधन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पूरे राज्य में कडाई से पालना की जावेगी।

J. कोविड-19 के प्रबंधन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश:-

(Common Safety Directives for Covid-19 Management)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

25. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा :

1. मुँह को ढकना (Face Covering) :-सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित करायी जाएगी।
2. सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ('2 गज की दूरी) बनाए रखेगा।
3. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।

जिला मजिस्ट्रेट
चौमहुरा

4. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्चाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
5. सभी व्यवितयों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबून व पानी से हाथ धोये/सेनेटाईजर का उपयोग करें।

26. कार्य स्थलों में (At work place):

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियाँ और निर्धारित की जाती हैं:

1. कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत्तशासी, निजी कार्यालय इत्यादि) कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालयध्यक्ष द्वारा बुलाया जावें।
2. घर से कार्य (Work):— जहाँ तक सम्भव हो घर से कार्य करने की विधि की पालना की जावे।
3. कार्य / व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना: कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम /व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (staggering of work/business hours)।
4. जांच एवं स्वच्छता (screening and hygiene) : सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
5. बार—बार सेनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिपटों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी विन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार—बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सामाजिक दूरी : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यवितयों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलते में पर्याप्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
7. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से उपचरण भिजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जावेगी।


27. दुकानों (Shops):—

1. दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। "नो मास्क नो सर्विस" जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।
2. यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

K. व्यवितयों के आवागमन / परिवहन / पारा:

(Movement of People/Transport/Passes)

28. राज्य के सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि कोविड 19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से दिनांक 14.04.2021 तक अन्तर्राज्यीय यात्राएं नहीं करें।
29. वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिवंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
30. सभी कॉर्मशियल यात्री परिवहन वाहन— यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के विन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालन के अधीन यस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला/उवर आदि) ऑटो रिवशा, साईकिल रिवशा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।



जिला अधिस्ट्रेटर
उदयपुर

31. सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गयी एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।
32. किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत वैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
33. यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
34. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गयी RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता हैं तो गन्तव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटिन करना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी –

- अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भाँति प्रवेश द्वार पर चैक पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।
- महाप्रबंधक उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, उदयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।

L. भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह (Safety Advisory For Vulnerable Person) :

35. भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरुगण्ठा परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियों ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

M. आरोग्य सेतु का उपयोग :

36. संगत मोबाइल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आरोग्य सेतु का उपयोग जारी रखा जावे। यह समय पर उन व्यक्तियों को चिकित्सकीय देख रेख के लिए सुविधा देगा जो जोखिम में है।

N. गाईडलाईन्स की सख्त अनुपालना:

37. उपखण्ड, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट इस संबंध में संवधित अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे।
38. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग और नगर निकायों की संयुक्त टीमें बनाकर एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त पालना की जा सके।

इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

O. ग्रियान्वयन मशीनरी :

- 40 विभाग द्वारा जारी सामरांख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च 2020 के अनुरूप होगी।


 (चेतन देशपांडे)
 जिला मजिस्ट्रेट,
 उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर
2. माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर
3. माननीय शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर
5. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस रेंज महोदय, उदयपुर
6. समरत जिला मणिस्ट्रेट (राजस्थान)
7. निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, पर्यावरण विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
2. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी जोन, उदयपुर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर
4. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर
5. सचिव, नगर विकास प्रणाली, उदयपुर
6. अतिरिक्त जिला मणिस्ट्रेट (शहर/प्रशासन)
7. जिला आवकारी अधिकारी, उदयपुर
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर/मुख्यालय/जिला)
9. समरत उपखण्ड मणिस्ट्रेट
10. समरत वृताधिकारी
11. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय विकित्सालय, उदयपुर
12. मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
14. समरत तहसीलदार
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर
16. उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उदयपुर
17. समरत थाना अधिकारी, उदयपुर
18. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा,
19. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला मणिस्ट्रेट महोदय, उदयपुर
20.

जिला मणिस्ट्रेट,
उदयपुर

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक : 21 मार्च, 2021

आदेश

विषय: निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स दिनांक 21 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक।

संक्रमण की रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार (MHA) के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020-डीएम-I(ए) दिनांक 27 जनवरी, 2021 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

"कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध लगातार सतत जागृति रखना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को सम्यक सावधानी बरतते हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के सख्त पालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालना करना चाहिए।

तदनुसार, राज्य में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय समसंब्धयक आदेश दिनांक 27.02.2021 की निरंतरता में माह मार्च, 2021 के लिए राजस्थान राज्य में सावधानी और कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

A. निगरानी और कंटेनमेंट जोन :

1. आवश्यकता होने पर संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए कन्टेनमेंट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा।
2. संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी क्षेत्र/अपार्टमेंट में समूह में 5 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाये जाते हैं, तो उस क्षेत्र को मिनी कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा।
3. चिन्हिकृत कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम उपायों की सख्ती से (निष्ठा पूर्वक) निम्नानुसार अनुपालना करवाई जावे:-

[Signature]

- i. कोविड-19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाईडलाईन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जावेगा।
- ii. चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए **RajCovidInfo** ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज घर पर ही रहता है तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।
- iii. समुदायों में कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जावे।
- iv. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इस हेतु संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
- v. संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।

B. स्थानीय प्रतिबन्ध :

- (1) भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2021 को कुंभ मेला के संदर्भ में कोविड-19 से संबंधित बिन्दुओं के प्रबन्धन हेतु एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) डाक्यूमेंट जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई SOP के अनुसार आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा गठित की गई समिति विभिन्न मेलों एवं उत्सवों के आयोजन हेतु राज्य सरकार से परामर्श कर उपयुक्त कदम उठायेगी।

मानविकी
 धार्मिक मेलों/उत्सवों एवं त्यौहारों के आयोजन हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- (2) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आंकलन करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जारी कर सकेंगे।
- (3) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालन कराया जाना आवश्यक होगा।
- (4) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।

- (5) a. दिनांक 22.03.2021 से नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे।
- b. दिनांक 22.03.2021 से राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 10 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच जायें, जब तक कि इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी से अन्यथा विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

कर्फ्यू सम्बन्धी यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगी:-

- i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
- ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
- iii. आई.टी. कम्पनियां।
- iv. कैमिस्ट शॉप।
- v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
- vi. विवाह सम्बन्धी समारोह।
- vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
- viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले यात्रीगण।
- ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
- x. रेस्टोरेन्ट्स।

(इस हेतु पृथक से पास जारी नहीं किये जायेंगे।)

उक्त संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल संबंधी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सघन जांच की जायेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्था को सील किया जायेगा।

2021/2022 c. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में:-

- (i) राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निमानुसार निर्णय लिया गया है:-

- ए. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
- बी. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 6वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय खोले जाने की अनुमति रहेगी।
- सी. कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
- डी. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं चलाए जाने की अनुमति रहेगी।

सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सभी सरकारी/निजी विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों/स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। विद्यालय जाने हेतु विद्यार्थियों को अपने माता-पिता/अभिभावकों से लिखित में स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।

D. समारोह आयोजन (Gatherings) :

सामाजिक/राजनैतिक/खेल-कूद/मनोरजन/शैक्षणिक/धार्मिक आयोजनों एवं वृत् एकत्रीकरण की कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति होगी :—

(1) विवाह संबंधी आयोजन।

आयोजन कर्ता द्वारा:-

- (ए) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी।
- (बी) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- (सी) फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जायेगी।
- (डी) स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
- (ई) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज़ किया जायेगा।

(एफ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या **200** से अधिक नहीं होगी।

(जी) विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(2) अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईज़र के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

(3) सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक / जन कार्यक्रमों का आयोजन निम्न शर्तों के अधीन होगा:-
आयोजन कर्ता द्वारा:-

1. आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) किया जायेगा।
2. आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

(अ) बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे।

(ब) 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर स्थल / जगह को ध्यान में रखते हुए **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे।

प्रत्येक व्यक्ति **6** फीट दूरी (**2** गज की दूरी) संधारित करेगा।

3. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो-मास्क नो-एंट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
6. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

E. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) की सख्ती से पालना :-

1. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर, निम्न के अलावा जो कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत है :-
 - i. गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।
 - ii. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 08 फरवरी, 2021 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
 - iii. तरण-ताल भारत सरकार के युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई SOP के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
 - iv. प्रदर्शनी हॉल वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
(हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमत)
2. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) निर्धारित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एस.ओ.पी. की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट <https://covidinfo.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कड़ाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

मंगल

F. कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार :

जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

1. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।
2. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे।
3. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।
4. कोविड-19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पूरे राज्य में कड़ाई से पालना कि जायेगी।

G. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश :

(Common Safety Directives for Covid-19 Management)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा :

- (1) मुँह को ढकना (**Face Covering**): सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
- (2) सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (“2 गज की दूरी”) बनाये रखेगा।
- (3) सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनिटाईजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places) :

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं :

- (1) **कार्यस्थलों पर** (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जावे।
- (2) **घर से कार्य (WfH)** : जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।
- (3) **कार्य/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना** : कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/business hours)।
- (4) **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene)** : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (5) **बार-बार सैनिटाईजेशन करना** : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) **सामाजिक दूरी** : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) **श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर संघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।**

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

3. दुकानों:-

उपरोक्त वर्णित 1 एवं 2 के अतिरिक्त दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। “नो मास्क नो सर्विस” जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।

H. आरोग्य सेतु एप का उपयोग :

संगत मोबाइल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आरोग्य सेतु का उपयोग जारी रखा जावे। यह समय पर उन व्यक्तियों को चिकित्सीय देखरेख के लिए सुविधा देगा जो जोखिम में हैं।

I. भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह :

(Safety Advisory for Vulnerable Persons)

भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

J. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास

(Movement of People/ Transport/ Passes):


- (i) वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) सभी कॉर्मशियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।
- (iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (v) यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
- (vi) राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आदेश दिनांक 25.03.2021 से प्रभावी होंगे। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

- सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भाँति प्रवेश द्वारा पर चेक-पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।
- महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

K. क्रियान्वयन मशीनरी:

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।


(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्मागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	अपराध	शास्ति	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुँह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/-	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/-	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/-	3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन, जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति हो।	25,000/-	
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुँह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से	10,000/-	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक

	सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।		2. रीको इकाई के प्रमुख
10.	<p>जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना जिसमें—</p> <p>1- <i>Closed Space</i> में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम संख्या 200 व्यक्तियों से अधिक होने पर।</p> <p>2- <i>Open Space</i> (खुले स्थानों में) मैदान/स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 200 व्यक्तियों से अधिक होने पर।</p> <p>तथा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी की पालना नहीं किये जाने पर, फेस मास्क नहीं लगाने अथवा समुचित रूप से नहीं पहनने पर, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर।</p>	10,000/-	<p>1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट</p> <p>2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी</p>